कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क. फा.15(43)सविरा/बैंक–1/अरबन/वेतनमान/2022 दिनांक- 8 अगस्त, 2022

आदेश

राज्य के अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों/नागरिक सहकारी बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान जो पूर्व में दिनांक 28–10–2016 से जारी किये गये थे, की समयावधि दिनांक 30 जून, 2020 को समाप्त हो चुकी है। इन बैंकों के वेतनमान में संशोधन के लिये विभाग के आदेश दिनांक 15–02–2021 एवं संशोधित आदेश दिनांक 16.03.2022 से अतिरिक्त रजिस्ट्रार(द्वितीय) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई। कमेटी के सदस्यों द्वारा बैंको की 31 मार्च, 2020 के पश्चात् 31 मार्च, 2021 व 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्षों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया। इन दो वर्षों में कतिपय बैंकों ने आशातीत वृद्धि दर्शाई है जबकि कतिपय बैंकों की वृद्धि ऋणात्मक रही है जिसके कारण समग्र रूप से बैंकों की प्रगति आशानुरूप नहीं रही। हालांकि इसका एक मुख्य कारण कोविड महामारी भी रही है। कमेटी की सिफारिश अनुसार कर्मचारी हितों एवं बैंकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नये वेतनमान अंतरिम रूप से लागू होंगे जो 30–06–2023 तक प्रभावी रहेंगे।

अतएव राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 39 के अंतर्गत जारी अरबन को–ऑपरेटिव बैंक सर्विस रूल्स के प्रावधानों के अंतर्गत वेतनमान में संशोधन के नये आदेश निम्नानुसार जारी किये जाते हैंः–

1. पूर्व में वेतनमान में संशोधन 5 वर्षों के लिये लागू किये जाते थे परंतु कोविड की विशेष परिस्थितियों के कारण नवीन संशोधित आदेशों की अवधि 3 वर्ष निर्धारित की जाती है जिसकी अवधि 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2023 तक होगी।

   इससे बैंकों को यह पर्याप्त अवसर रहेगा कि वे 31–03–2023 तक बैंकों के वित्तीय मापदंडों को और अधिक सुदृढ़ कर सकें जिससे 30 जून, 2023 से पुनः नवीन वेतनमान निर्धारित किये जा सकेंगे।

2. बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अंतरिम राहत देते हुए 01–07–2020 को जिस मूल वेतन पर इनका फिक्शेशन किया हुआ है, उसी ग्रेड में अगली एक वेतनवृद्धि देते हुए फिक्सेशन किया जावे एवं सभी ग्रेडों में अंतिम ग्रेड में एक–एक वार्षिक वेतनवृद्धि की राशि और बढ़ादी जावे। यहां यह स्पष्ट है कि उक्त वेतन वृद्धि से अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रभावित नहीं होगी।

3. राज्य के 4 बैंक यथा आदर्श बैंक, फिनग्रोथ बैंक, रेल्वे जोधपुर एवं रेल्वे बीकानेर बैंक मल्टीस्टेट को–ऑपरेटिव सोसाईटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं अतएव वे अपने संचालक मंडल से अनुमोदित कराते हुए वेतनमान में संशोधन के लिये स्वतंत्र रहेंगे।

4. ये वेतनमान 01–07–2020 से प्रभावी होंगे अतएव इसी तिथि से (आगे उल्लेखित बैंकों के अतिरिक्त) सभी बैंकों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को एरियर का भुगतान देय होगा। 31–03–2020 की तुलना में ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, इण्टीग्रल–जयपुर, कोटा महिला, नागौर, राजपूताना महिला–जयपुर, सुमेरपुर एवं स्टर्लिंग बैंक–जयपुर वे बैंक हैं जिनके व्यवसाय में 31–3–2020 की तुलना में 31–03–2021 अथवा 31–03–2022 को कमी आई हैं अतएव इन बैंकों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को 01–07–2020 से 30–06–2022 तक की अवधि का कोई एरियर देय नहीं होगा।

5. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भरतपुर, मालवीय–जयपुर, पाली, राजलक्ष्मी–जयपुर एवं राजस्थान अरबन बैंक–जयपुर का संस्थापन व्यय 31–03–2020 को 2 प्रतिशत से अधिक था अतएव इन बैंकों में नवीन वेतनमान संशोधन के लिये संचालक मंडल को अधिकृत किया जाता है कि वे समग्र स्थिति की समीक्षा करते हुए यथोचित निर्णय लें, तथापि इन बैंकों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी 01–07–2020 से 30–06–2022 तक की अवधि का कोई एरियर देय नहीं होगा।

6. टैफकब की गत बैठक दिनांक 16–03–2022 में बैंकवार हुई चर्चा के कम में उपरोक्त बैंकों में से कुछ बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी कार्य योजना में शामिल हैं उनके अतिरिक्त बारां, चूरू, कोटा नागरिक

सहकारी बैंक कोटा, उदयपुर महिला अरबन बैंक उदयपुर भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्य योजना में शामिल कर निर्देश प्रदान किये गये हैं। अतएव इन बैंकों में नवीन वेतनमान संशोधन लागू करने के लिये संचालक मंडल को अधिकृत किया जाता है कि वे समग्र स्थिति की समीक्षा करते हुए यथोचित निर्णय लें।

7. जो बैंक अवसायन में हैं उनमें उपरोक्त आदेश लागू नहीं होंगे। सीकर बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशाधीन (अंडर डायरेक्शन) है, अतएव यह बैंक भी नये वेतनमान हेतु पात्र नहीं होगी। जिन बैंकों ने 28–10–2016 द्वारा संशोधित वेतनमान अभी तक लागू नहीं किये हैं, वे बैंक यदि पुराना एवं/अथवा नवीन वेतनमान संशोधन लागू करना चाहते हैं तो संचालक मंडल के प्रस्ताव सहित अपना पक्ष औचित्यपूर्ण टिप्पणी सहित विभाग को प्रस्तुत करेंगे जिन पर पृथक से निर्णय लिया जावेगा।

8. मकान किराया भत्ता जो वर्तमान में मूल वेतन का 10/8 प्रतिशत दिया जा रहा है, को सभी के लिये समान रूप से 1–07–2020 से 10 प्रतिशत किया जाता है।

9. बैंक में कार्यरत सहायक कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि देने से उनकी कुल राशि में वृद्धि बहुत कम हो रही है अतएव उन्हें दो वेतन वृद्धियों का लाभ देय होगा।

10. बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के भत्तों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

10.1 पूर्व में जारी आदेशों के बिन्दु सं. 9 में विशेष शैक्षणिक योग्यता वेतन वृद्धि के लाभ दिये हुए हैं जिसके बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी को ग्रेड के अंतिम बिन्दु के पश्चात् भी ग्रेड की अंतिम वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा।

10.2 पूर्व के आदेश के बिन्दु सं. 10 में वाहन व्यय पुनर्भुगतान में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार मासिक राशि देय होगीः–

क0 सं0	पद	राशि
1	प्रबंध निदेशक	2500
2	ग्रेड– ए अधिकारी	2500
3	ग्रेड–बी अधिकारी	2000
4	ग्रेड–सी अधिकारी	1600
5	ग्रेड–डी अधिकारी	1200
6	कैशियर/कम्प्यूटर ऑपरेटर/ लिपिक/ बैंकिंग सहायक	700
7	सहायक कर्मचारी	500

10.3 कैशियर व साईकिल सवार को देय विशेष भत्ते का निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

रोकड़िया/टेलर रू. 800/–

दुपहिया वाहन सवार रू. 500/–

10.4 चिकित्सा भत्ता जो वर्तमान में 500/– प्रति माह देय है, को बढ़ा कर 1000/– प्रति माह किया जाता है। वैकल्पिक रूप से यह भी निर्धारित किया जाता है कि राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना (Rajasthan Government Health Scheme) भी जो सरकारी व संस्थाओं/संस्थानों के कर्मचारियों हेतु प्रचलित है, बैंकों द्वारा अंगीकार की जा सकती है जिसका प्रीमियम बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। इस दशा में चिकित्सा भत्ता देय नहीं होगा।

10.5 पूर्व में जारी आदेशों के बिन्दु सं. 13 में दर्शाई गई तालिका की अंतिम श्रेणी में वर्णित मेट्रोपेलिटन शहरों व राजधानी के लिये देय विराम भत्ते व होटल चार्जेज सभी स्थानों के लिये समान रूप से देय होंगे। कान्फ्रेंस, प्रशिक्षण, मीटिंग आदि के समय होटल विशेष में रूकने की दशा में पूर्वानुसार वास्तविक चार्जेज दिये जायेंगे।

बैंक के कार्यक्षेत्र में यात्रा करने पर विराम भत्ता एवं होटल चार्जेज बैंक के संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किये जा सकेंगे परंतु किसी भी दशा में उपरोक्तानुसार वर्णित सीमा से अधिक नहीं होंगे।

10.6 सेवानिवृत अधिकारियों को देय मासिक वेतन पूर्व के आदेश दिनांक 28.10.2016 में वर्णित अनुसार यथावत रहेंगे।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 10 में वर्णित सिफारिशों का लाभ, विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के बाद संबंधित बैंक के संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णय की तिथि से देय होगा।

यदि इन आदेशों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद हो तथा बिन्दु संख्या 4, 5 एवं 6 में वर्णित बैंकों की असहमति हो तो वे विभाग को अपना पक्ष औचित्यपूर्ण टिप्पणी सहित प्रस्तुत कर सकते हैं जिस पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का निर्णय अंतिम होगा। वे सभी बैंक जो संशोधित आदेश के अनुसार वेतनमान पुनर्निधारित करेंगे, उनके संचालक मंडल इस आशय का प्रस्ताव अनिवार्य रूप से पारित करेंगे कि उनका बैंक इस वित्तीय भार को सहन करने की पात्रता रखता है। बैंक द्वारा लिये गये प्रस्ताव व जारी आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित की जावे।

ये आदेश आज दिनांक 8 अगस्त, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किये गये।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
रजिस्ट्रार

क. फा.15(43)सविरा/बैंक–1/अरबन/वेतनमान/2022 दिनांक 8 अगस्त, 2022

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त रजिस्ट्रार(द्वितीय), सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त/संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, ... (समस्त)
6. उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, ...(समस्त)
7. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी/विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, ...(समस्त)
8. उप–महाप्रबंधक (शहरी बैंकिंग विभाग), भारतीय रिजर्व बैंक, रामबाग सर्किल, जयपुर।
9. अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लि., प्रथम मंजिल, बी–41, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
10. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ...अरबन को–ऑपरेटिव/नागरिक सहकारी बैंक लि., ...(समस्त)
11. प्रचार अधिकारी, सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)